<u>न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना सदर</u>
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–3109 / 2026
दीघा थाना कांड संख्या–573 / 2026

16.07.2026 पुकार पर आवेदक रंजीत कुमार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किए कि इसी मामले से संबंधित एक अन्य ए0बी0पी0 2999 / 2026 में आवेदकगण को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए कांड दैनिकी एवं आपराधिक इतिहास की मांग किया गया है। अतः निवेदन है वर्तमान आवेदक को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए ए0बी0पी0 2999 / 2026 के साथ सुनवाई हेतु रखा जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा कहा गया है कि ए0बी0पी0 2999 / 2026 में कांड दैनिकी एवं आपराधिक इतिहास नहीं आने पर आवेदकगण को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए कांड दैनिकी के लिए स्मार जारी किया गया है।

उभय पक्षों के प्रस्तुतिकरण को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि ए0बी0पी0 संख्या 2999 / 2026 में दिनांक 09.07.2026 को पारित आदेश से संबंधित थाना से आद्यतन कांड दैनिकी एवं आवेदकगण के आपराधिक इतिहास की मांग करते हुए 14.07.2026 की तिथि निर्धारित की गई थी और वांछित कांड दैनिकी प्राप्त नहीं होने पर आवेदकगण को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए संबंधित थाना को स्मार जारी किया गया है।

वर्तमान मामला भी उसी थाना कांड से संबंधित है। अतः आवदेक को अगली नियत तिथि तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उक्त दोनों अभिलेखों को एक साथ दिनांक 20.07.2025 को प्रस्तुत करें। कार्यालय इस आदेश की प्रति विचारण न्यायालय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के माध्यम से संबंधित थाना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। वाद दिनांक 20.07.2026 को सुनवाई हेतु।

लेखापित एवं संशोधित

(राकेश कुमार–)
<u>अपर सत्र न्या0, प्रथम</u>